तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	13/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 14/11/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	14/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 17/11/2025 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	17/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। O. 23 R. 3 प्रतिवादी की ओर से [illegible] द्वारा राजीनामा [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा स्वीकार [illegible] है। मुताबिक राजीनामा [illegible] डिक्री [illegible] किया गया। प्रकरण [illegible] पत्रावली [illegible] हो। [signature] 17/11/25

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मु.न. 100 / 2024
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 18.07.2024
निर्णय दिनांक 17.11.2025

उनवान

1. भगवती देवी पत्नि नोल्या उर्फ होतीलाल उर्फ कैलाश
2. करण पुत्र नोल्या उर्फ होतीलाल उर्फ कैलाश
3. लक्ष्मण पुत्र बाल्या
   समस्त जातियान जोगी निवासीयान कीरतपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. कृष्णकुमार वेद पुत्र तेजराम वेद जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा, अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. हेमराज पुत्र देवराज
3. लक्की पुत्र देवराज
4. भारती पुत्री देवराज
5. आरती पुत्री देवराज
6. गुड्डी देवी पत्नि देवराज
   समस्त जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्था
9. बृजमोहन पुत्र नोल्या उर्फ होतीलाल उर्फ कैलाश
10. मनभरी पुत्री कैलाश
11. रामपती पुत्री कैलाश
12. गुड्डी पुत्री कैलाश
13. कालूराम पुत्र नानगा
14. किशन पुत्र नानगा
15. महेश पुत्र नानगा
16. अजय पुत्र प्रहलाद
17. विजय पुत्र प्रहलाद
18. चन्दो पत्नि प्रहलाद
19. पप्पी पत्नि प्रहलाद
20. लक्ष्मण पुत्र बाल्या (हजफ)
21. गुढी उर्फ गुड्डी पुत्री बाल्या
22. सुबुद्वी पुत्र नत्थू
23. रमजू पुत्र नत्थू
24. सन्तो पुत्री नत्थू

१५६—

Scanned with OKEN Scanner

25.धन्ना पुत्र नत्थू
26.छोटी पुत्री नत्थू
समस्त जाति जोगी निवासी कीतरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
27. केशन्ता पुत्री कैलाश पत्नि भंवरसिंह हाल निवासी कुटूकी श्यलूता तह. राजगढ जिला अलवर

–प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद वादीगण दावा उद्घोषणा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का जरिये वकील न्यायालय हाजा मे पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– भूमि खाता सं. नया 199 पुराना 236 खसरा नं. 1007 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1008 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1036 रकबा 0.65 हैक्टे, खसरा नं. 1037 रकबा 0.31 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1775 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1776 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1777 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 07 कल रकबा 1.38 हैक्टेयर लगानी 1.38 रूपया वाके रामा कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 09 लगायत 26 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण सं. 09 लगायत 26 आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। भूमि मुतदाविया का साबिक खसरा नम्बर 104 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा रहा है। जिसके तत्कालीन खातेदार भगवान नाथ पुत्र जगन्नाथ तथा बाल्या वल्द गोरी नाथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 के उभय पूर्वज थे। इस भूमि मुतदाविया का अर्सा 60 वर्ष पूर्व तत्कालीन खातेदार भगवान नाथ वल्द जगन्नाथ व बाल्या वल्द गोरीनाथ ने आपसी सहमति से सरस–नरस आधार पर बाहमी बंटवारा कर लिया था और इसी बाहमी बंटवारा अनुसार बाल्या पुत्र गोरीनाथ के हिस्से व कब्जे में आई भूमि मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा था। बाल्या पुत्र गोरी नाथ के हिस्से व कब्जे में आई भूमि के बाद सैटलमेन्ट खसरा नंबर 1007, 1008, 1037, 1048/1775, 1048/1777 कायम हुये इस प्रकार भूमि खसरा नंबर 1007, 1008, 1037, 1048/1775 व 1048/1777 वादीगण संख्या 01 लगायत 03 एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 अर्सा बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। शेष 1/2 भूमि जो भगवाननाथ बल्द जगन्नाथ के हिस्से व कब्जे में आई थी इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1036 व 1048/1776 है। भगवान नाथ पुत्र जगन्नाथ ने भूमि मुतदाविया का उसका 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 25.03.1968 द्वारा टुण्डा पुत्र हुकमा बलाई निवासी कीरतपुरा को विक्रय कर दिया था। टुण्डा पुत्र हुक्मा बलाई हाल खसरा नम्बर 1036 व 1048/1776 की भूमि पर काबिज काश्त रहा था। टुण्डा पुत्र हुकमा के स्वर्गवास हो जाने से उसका विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान प्रताप , बनवारी , बाबूलाल पिसरान टुण्डाराम व राजू नरेश पिसरान भूदर मुस्मात

aye –

बेवा भूदर जाति बलाई निवासी कीरतपुरा के नाम दर्ज होकर अमल जमाबन्दी हो गया। टूण्डा के उक्त वर्णित वारीसान ने उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 18.05.2004 देवराज पुत्र भोजराज जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा (प्रतिवादीगण 02 लगायत 05 के पिता व प्रतिवादी संख्या 06 का पति) को बेचान कर दिया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज हो गया। भूमि मुतदाविया के खसरा नम्बर 1007 पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 ने सुरक्षा की दृष्टी से रास्ते की ओर अपने इस खेत में तारबन्दी की हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 ने उनके हिस्से व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1007, 1008, 1037, 1048/1775, 1048/1777 में लाखो रूपये खर्च करके उसे काश्त के योग्य बनाया है और अपने हिस्से कब्जे खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 के खातेदार कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1007, 1008, 1037, 1048/1775, 1048/1777 में बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाये जाने के लिए एक दावा संख्या 51/2024 हेमराज वगै बनाम बृजमोहन मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हेमराज वगै. बृजमोहन न्यायालय हाजा के समक्ष प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 26 के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा जरिये आदेश दिनांक 01.04.2024 द्वारा भूमि मुतदाविया के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया दावा उनवानी हेमराज बनाम बृजमोहन वगै न्यायालय के समक्ष लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.08.2024 नियत है। वाद लम्बित रहने के दौरान वादी हेमराज वगै. ने भूमि मुतदाविया में उनका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत बय नामा दिनांक 18.06.2024 प्रतिवादी संख्या 01 को विक्रय कर दिया है। दिनांक 18.06.2024 पंजीकृत बयनामा धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत शून्य होने से इस बयनामे से दावा हाजा के प्रतिवादी संख्या 1 भूमि मुतदाविया में हक अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिवादी संख्या 1 जबरन बल पूर्वक काबिज होना चाहता है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 199 पुराना 236 खसरा नं. 1007 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1008 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1036 रकबा 0.65 हैक्टे, खसरा नं. 1037 रकबा 0.31 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1775 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1776 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1777 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 07 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर लगानी 1.38 रूपया वाके रामा कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा का विधिवत तकास्मा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 09 लगायत 26 के खसरा नं. 1007, 1008, 1037, 1048/1775, 1048/1777 पर कब्जे तथा रास्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुये तकास्मा किया जाकर वादीगण का अलग खाता कायम किया जावे व लगान का विभाजन किया जाकर अलग जमाबन्दी जारी की जावे। जरिये निषेधाज्ञा से

४५६—

प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 को पाबन्द करवाने की इस्तदुआ चाही गई। तथा दिनांक 18.6.2024 पंजीकृत बय नामे शुन्य घोषित किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रकरण में दिनांक 10.09.2025 पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया निम्न प्रकार राजीनामा पेश किया गयाः—

भूमि मुतदाविया के 1/2 हिस्से के खातेदारान प्रतिवादी सं. 02 लगायत 06 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16/08/2024 द्वारा प्रतिवादी सं. 01 को बेचान कर दिया है। भूमि मुतदाविया के 1/2 हिस्सा 0.69 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी सं. 01 को घोषित किया जावे। भूमि मुतदाविया के सहखातेदारान प्रतिवादी सं. 13 लगायत 15, 21, 22, तथा 24 लगायत 26 ने भूमि मुतदाविया में स्वयं के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्से का हकत्याग, वादी संख्या 03 लक्ष्मण पुत्र बाल्या तथा शेष 1/2 हिस्से का हकत्याग वादी संख्या 02 करण एवं प्रतिवादी संख्या 09 ब्रजमोहन के हक में जरिये पंजीकृत हकत्याग दिनांक 29.01.2024 द्वारा कर दिया था जिसे उपपंजीयक कार्यालय बांदीकुई में पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 60, पृष्ठ संख्या 122, कम संख्या 202403158100115 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 142 के पृष्ठ संख्या 101 से 110 पर चस्पा किया गया तथा वादपत्र के प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 11 एवं 26 ने भूमि मुतदाविया में स्वयं के सम्पूर्ण हिस्से का 1/2 प्रतिवादी संख्या 09 ब्रजमोहन तथा शेष 1/2 हिस्सा वादी संख्या 02 करण के हक में जरिये पंजीकृत हकत्याग दिनांक 30.01.2024 द्वारा उपपंजीयक बांदीकुई के समक्ष किया गया जिसे पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 60 पृष्ठ संख्या 132 कम संख्या 202403158100125 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 142 के पृष्ठ संख्या 201 से 210 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 13 लगायत 15, 21, 22, 24 लगायत 26 का भूमि मुतदाविया में कोई हित अधिकार शेष नहीं रहा है। सहखातेदारान द्वारा उक्त वर्णित किए गये हकत्याग अनुसार उनके हिस्से की भूमि का खातेदार वादी संख्या 02 लगायत 03 एवं प्रतिवादी संख्या 09 को घोषित किया जावे। भूमि मुतदाविया के खसरा नंबर 1007, 1008, 1037 की उत्तरी सीमा से लगती हुई 12 फिट चौडाई में पूर्व–पश्चिम भूमि, खसरा नम्बर 1036 तक की एवं खसरा 1048/1775 की भूमि को सम्मलित करते हुए खसरा नंबर 1036 के रकबे में से दिशा पूर्व की ओर की भूमि को लेकर कुल 0.69 हैक्टेयर भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शा में बैरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी.ई.एफ. से दर्शित की गई है के अनुसार तकास्मा किया जाकर इस भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 को घोषित किया जावे तथा खसरा नंबर 1007, 1008, 1037 की शेष भूमि एवं खसरा नंबर 1048/1777, खसरा नंबर 1048/1776 तथा खसरा नंबर 1036 के रकबे में से भूमि लेकर कुल 0.69 हैक्टेयर भूमि जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी....जी. बैरंग नीला से दर्शित किया है को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 09, 12, 16 लगायत 20 एवं 23 के हक में दिया जाकर हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। उक्त राजीनामा वादीगण

Scanned with OKEN Scanner

एवं प्रतिवादी संख्या 01, 09, 12, 16 लगायत 20 तथा 23 ने राजीखुशी लोक अदालत की भावना से बिना किसी दबाव आग्रह के स्वस्थ्य चित्त से किया है तथा उक्त राजीनामा अनुसार प्रकरण का फैसला करना चाहते है। संलग्न नजरी नक्शा राजीनामा का भाग है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर बरूए राजीनामा उक्त उनवानी वादपत्र को डिक्री फरमाने की कृपा करें।

न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण में पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद को राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण दावा उद्घोषणा एवं तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पक्षकारान द्वारा दिनांक 10.09.2025 को पेश राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। भूमी खाता सं. नया 199 पुराना 236 खसरा नं. 1007 रकबा 0.08 हैक्टे, खसरा नं. 1008 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1036 रकबा 0.65 हैक्टे, खसरा नं. 1037 रकबा 0.31 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1775 रकबा 0.12 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1776 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा नं. 1048/1777 रकबा 0.05 हैक्टे, कुल किता 07 कल रकबा 1.38 हैक्टेयर लगानी 1.38 रूपया वाके रामा कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बांदीकुई पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करे, राजीनामा उक्त निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner